

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग

(५१)
क्रमांक प.6()प्र.सु./अनु.३/2010 | (१)

जयपुर, दिनांक :— 14.10.2010

आदेश

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 56) के क्रियान्वयन के संबंध में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण नियम, 2010 के नियम 22 के अन्तर्गत अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह देने के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाये, के निर्वहन के लिए “राज्य समन्वय समिति” का गठन करने की महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (विभाग का प्रभारी) / विकास आयुक्त	अध्यक्ष
2. प्रमुख शासन सचिव / सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	सदस्य
3. प्रमुख शासन सचिव / सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
4. प्रमुख शासन सचिव / सचिव, गृह विभाग	सदस्य
5. प्रमुख शासन सचिव / सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
6. प्रमुख शासन सचिव / सचिव, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग	सदस्य
7. प्रमुख शासन सचिव / सचिव, विधि विभाग	सदस्य
8. महानिदेशक, पुलिस	सदस्य
9. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग	सदस्य
10. आयुक्त / निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	सदस्य सचिव

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।

यह समिति 6 माह में कम से कम एक बार बैठक आयोजित करेगी।

आज्ञा से,


शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
5. निजी अतिरिक्त मुख्य सचिव (विभाग का प्रभारी) / विकास आयुक्त
6. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर को आदेश की अतिरिक्त प्रतियां समस्त संबंधित को वितरण हेतु प्रेषित है।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / सचिव, वित्त विभाग
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / सचिव, गृह विभाग
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / सचिव, स्वस्थ्य शिक्षा विभाग
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव / सचिव, विधि विभाग
13. निजी सचिव, महानिदेशक, पुलिस
14. निजी सचिव, निदेशक, जन सम्पर्क विभाग
15. अधीक्षक केन्द्रीय, मुद्रणालय, जयपुर।
16. समिति से संबंधित समस्त सदस्यगणः
17. संबंधित श्री/ श्रीमती
18. गार्ड पत्रावली।

14/10
अनुभागाधिकारी

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग
(इप.)
क्रमांक प.6(प्र.सु./अनु.3/2010 (ii))

जयपुर, दिनांक : - 14. 10. 2010

आदेश

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 56) के क्रियान्वयन के संबंध में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण नियम, 2010 के नियम 23 के अन्तर्गत अधिनियम के प्रभावी और समन्वित क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसे अन्य कृत्यों के निर्णय के लिए प्रत्येक जिले के लिए "जिला समन्वय समिति" का गठन करने की महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

- | | |
|---|--------------|
| (i) जिला मजिस्ट्रेट | पदेन अध्यक्ष |
| (ii) पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, जिला अस्पताल या चिकित्सा महाद्यालय का प्रभारी अधिकारी, जिला जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् | पदेन सदस्य |
| (iii) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन ऐसे व्यक्ति, जो वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में विशेषज्ञ और सक्रिय हों | सदस्य |
| (iv) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन विख्यात सदस्य वरिष्ठ नागरिक | सदस्य |
| (v) जिला समाज कल्याण अधिकारी | पदेन सदस्य |

क्रम संख्या iii या iv में मनोनीत किये जाने वाले गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।

उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा।

यह समिति प्रत्येक 3 माह में एक बार बैठक आयोजित करेगी।

आज्ञा से,

शासन उप सचिव

(५४)
क्रमांक प.६(प्र.सु.) / अनु.३ / २०१०।(ii)

जयपुर, दिनांक :— ११.१८.२०१०

प्रतिलिपि निम्न को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, सम्बन्धित प्रमुख शासन सचिव, / शासन सचिव
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
राजस्थान जयपुर।
7. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर को आदेश की
अतिरिक्त प्रतियां समस्त संबंधित को वितरण हेतु प्रेषित है।
8. जिला कलक्टर
9. समस्त विभागाध्यक्ष
10. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में
प्रकाशनार्थ।
11. रक्षित पत्रावली।

14/०१०
अनुभागाधिकारी